

	Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep. *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination', the age-limit would be 18-27 years.	experience is relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	---	--	--

(9)	(10)
Two years for direct recruit or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)
<p>Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in the level 1 in the pay matrix Rs. 18000 – 56900 in the Directorate of Coordination Police Wireless, who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix Rs. 18000 – 56900 in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; 2. Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; 3. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member.</p>	Not applicable.

[No. A.11016/1/RR(B&C)/2017-Ad.II/PM-II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सा.का.नि. 80.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग III पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम, 1962 जहाँ तक उनका संबंध बीजलेख सहायक और बीजलेख प्रचालक के पदों से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, और समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग I और वर्ग II पद भर्ती नियम, 1966, जहाँ तक उनका संबंध अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) तथा तकनीकी अधीक्षक (बीजलेख) के पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने

का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख), संचार अधिकारी (बीजलेख) और सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख) के पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार [संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख), संचार अधिकारी (बीजलेख) और सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता— वह व्यक्ति — जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन स्वीकार्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1-संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख)	8* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स रु. 47600-151100 में स्तर 8

क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	आवश्यक :- अहर्ता : लागू नहीं होता। अनुभव: लागू नहीं होता। वांछनीय: अहर्ता : लागू नहीं होता। अनुभव : लागू नहीं होता।	आयु :- लागू नहीं होता। शैक्षिक अहर्ता:- लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, इसमें ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस श्रेणी से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रोन्नति:--</p> <p>ऐसा संचार अधिकारी (बीजलेख) जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 के स्तर 7 में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्षों की नियमित सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित दो सप्ताह की अवधि का पुनश्चर्या बीजलेख पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p>टिप्पण. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और जिनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस संगठन के अधिकारी, जो;</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों;</p> <p>या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 के स्तर 7 में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा पूरी की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों :-</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी में स्नातक या इंजीनियरी में स्नातक या विज्ञान में स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान में इंजीनियरी) की डिग्री।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ बेचलर डिग्री और 12वीं स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो।</p> <p>(ii) समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित पुलिस उन्नयन बीजलेख पाठ्यक्रम श्रेणी-I या समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेश पुलिस संगठन या समतुल्य द्वारा संचालित दो सप्ताह की अवधि का पुनश्चर्या बीजलेख पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>(iii) क्रिप्टो प्रणाली में काम करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसकी संरचना	भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियाँ
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- (1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - अध्यक्ष; (2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य - सदस्य।	प्रोन्नति के आधार पर पद को भरने के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। तथापि, प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरने के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. संचार अधिकारी (बीजलेख)	23*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अननुसचिवीय, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 में स्तर 7

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन	लागू नहीं होता	आवश्यक :- अर्हता : लागू नहीं होता। अनुभव: लागू नहीं होता। वांछनीय: अर्हता: लागू नहीं होता। अनुभव: लागू नहीं होता।	आयु:- लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हता:- लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसे ऐसा ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति: ऐसे सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख) जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 के स्तर 6 में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित पुलिस उन्नयन बीजलेख पाठ्यक्रम श्रेणी-I सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p>टिप्पण. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेश पुलिस के अधिकारी, जो:</p>

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों;
या

(ii) वेतन मैट्रिक्स रू० 35400-112400 के स्तर 6 में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो;
और

(ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:-
किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी में बेचलर या इंजीनियरी में स्नातक या कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान (इंजीनियरी) बेचलर डिग्री।
अथवा
किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ बेचलर डिग्री और 12वीं स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो।
और

(ii) समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार या समतुल्य द्वारा संचालित पुलिस उन्नयन बीजलेख पाठ्यक्रम श्रेणी-I उत्तीर्ण किया हुआ हो।

(iii) क्रिप्टो प्रणाली में काम करने का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- (1) संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3) समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य - सदस्य।	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक संचार अधिकारी (बीजलेख)	82 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अननुसचिवीय, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स रू. 35400-112400 में स्तर 6

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख होगी।	आवश्यक अहर्ता:- किसी मान्यता- प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी में स्नातक या इंजीनियरी में स्नातक या कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान (इंजीनियरी) स्नातक। अथवा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ बेचलर डिग्री और 12वीं स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो, साथ ही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या सरकारी उपक्रम संगठन में बीज लेखन या प्रचालन अनुसंधान या शास्त्र गणित के क्षेत्र में एक वर्ष काम	लागू नहीं होता

	<p>करने का अनिवार्य अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	
--	---	--

(9)	(10)
<p>सीधी भर्ती के साथ-साथ अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण : विभाग द्वारा सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित के लिए निर्धारित प्रवेश प्रशिक्षण, परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के भाग के रूप में</p>	<p>75% सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>25% प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)।</p>

(11)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्र शासित प्रदेश पुलिस संगठन के अधिकारी, जो:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (रू० 29,200-92,300) के स्तर 5 में या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। और</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:- सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिक या जो स्थानांतरण होने पर एक वर्ष की अवधि तक सेवा में रहेंगे और पद के लिए विनिर्दिष्ट अनुभव और अहर्ताएं रखते हो, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को उनके सशस्त्र सेना से सेवामुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्त पर रखा जाएगा; उसके बाद वे पुनर्नियोजन पर लगातार सेवा कर सकेंगे।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से	आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

मिल कर बनेगी:-	
(1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- अध्यक्ष;
(2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- सदस्य;
(3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य	- सदस्य।

[सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख एवं ग)/2017-प्र. II /पुअ. II]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2020

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Co-ordination Police Wireless Recruitment to Group 'B' posts Rules, 1966 and Group C posts Rules, 1962 in so far as they relate to the posts of Cipher Operator, Cipher Assistant, which are, now merged and re-designated as Assistant Communication Officer (Cipher); Technical Superintendent (Cipher), which is, now re-designated as Communication Officer (Cipher) and Extra Assistant Director (Cipher) which is, now re-designated as Joint Assistant Director (Cipher), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to recruitment to the posts of Assistant Communication Officer (Cipher), Communication Officer (Cipher) and Joint Assistant Director (Cipher) in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless [Joint Assistant Director (Cipher), Communication Officer (Cipher) and Assistant Communication Officer (Cipher)] Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix. — The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications . —No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Joint Assistant Director (Cipher)	8 (2020)* Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Non -Ministerial, Gazetted ,Group 'B'	Level 8 in the pay matrix Rs 47600-151100
Whether Selection or Non -Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications

			prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Essential: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable. Desirable: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable.	Age:-Not applicable. Educational qualification:- Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
<p>Promotion: Communication Officer (Cipher) in level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed the refresher cipher course of two weeks duration conducted by Directorate of Coordination Police Wireless.</p> <p>Note :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officials of the Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State Police Organisation or Union territory Police Organisation.</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience:- (i) Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Science (Engineering in Computer Science from a recognised University or Institute; or Bachelor Degree with Mathematics as a subject from a recognised university and having English as a subject at 12th Standard; (ii) should have passed police up-gradation cipher course Grade-I conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless or equivalent and refresher cipher course of two weeks duration conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless or State Police Organisation or Union Territory Police Organisation or equivalent. and (iii) two years working experience in cryptosystems.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making
---	---

	recruitments
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2) Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3) External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs - Members.	Consultation with the Commission is not necessary for filling up the posts on promotion basis. However, consultation of Commission is necessary for filling up the post on deputation basis.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.Communication Officer (Cipher)	23(2020)* Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Non-Gazetted, Non – Ministerial, Group 'B'	Level 7 in the pay matrix Rs.44900-142400

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Essential: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable. Desirable: Qualification: Not applicable. Experience: Not applicable.	Age:Not applicable Educational qualification: Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	Promotion failing which by deputation

(11)
<p>Promotion: Assistant Communication Officer (Cipher) in the level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400 with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed Police Upgradation Cipher Course Grade-I conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers from amongst Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State Police Organisation or Union territory Police Organisation:</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience:-</p> <p>(i) Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Science (Engineering) in Computer Science from a recognised University or Institute;</p> <p>or</p> <p>Bachelor Degree with Mathematics as a subject from a recognised University and having English as a subject at 12th Standard;</p> <p>and</p> <p>(ii) should have passed Police Up-gradation Cipher Course Grade-I conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless or equivalent.</p> <p>(iii) one year working experience in cryptosystems.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not</p>

exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <p>(1) Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member;</p> <p>(3) External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs - Member.</p>	<p>Consultation with the Commission is not necessary for filling up the post on either by promotion or by deputation basis.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Assistant Communication Officer (Cipher)	82 (2020)* Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non-Gazetted, Non - Ministerial Group, 'B'	Level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	<p>30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>Essential qualification:-</p> <p>Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Science (Engineering) in Computer Science from a recognised University or Institute.</p> <p>Or</p> <p>Bachelor Degree with Mathematics as a subject from a recognised University and having English as a subject at 12th Standard with one year mandatory working experience in any Central Government or State Government or Union territory or public sector undertaking organisation in the field of cryptography or operational research or algorithm development.</p> <p>Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage or selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable

(9)	(10)
Two years for direct recruit as well as officers re-employed before the age of Superannuation. Note: Induction training for Direct Recruitment or Re-employed as prescribed by Department, as part of successful completion of probation.	75% by direct recruitment 25% by deputation/absorption or re-employment (for Ex-Serviceman).

(11)
<p>Deputation /absorption: From amongst the officials of the Central Police Organisation or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State Police Organisation or Union territory Police Organisation:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 5 in the pay matrix Rs. 29,200-92,300 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications as prescribed for direct recruits under column (7). and For Ex-Servicemen :</p> <p>Deputation/ re-employment: - The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>(1) Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2) Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3) External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Member.</p>	Consultation with the Commission is not necessary.

[No. A.11016/1/RR(B&C)/2017-Ad.II/PM-II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.